

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख
14/12/22	आज पत्रावली पेश हुई। बकलाय करीब उपपरीवर्ती अधिकारी... से... पत्रावली उनके समक्ष दिनांक... को पेश की।	
13/12/22	आज यह पत्रावली पेश की। वकील प्राणी उपस्थित हैं। बकलाय सुनी गई। पत्रावली वाले आदेश हेतु दिनांक 26/12/2022 को पेय है। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (अलवर) राज०	
26/12/22	आज पत्रावली पेश हुई। बकलाय करीब उपपरीवर्ती अधिकारी... से... पत्रावली उनके समक्ष दिनांक... को पेश की।	
03/12/23	आज यह पत्रावली हमारे सम्मुख बकलाय निर्णय हेतु पेय की गई। हमने पत्रावली का अध्ययन किया तथा प्राणी वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली के अनुसार बकलाय इस प्रकार से है कि प्राणी द्वारा प्राणना-पत्र प्राप्त कर निवेदन किया है कि आराजी ख० न० 16 इलाका 06 एम्प वोक ग्राम शिमला तहसील बहरोड़ जिला-अलवर के राजा... के प्राणी के पिता का नाम रोहितवर्मा पुत्र मिशना जाति अर्ध निवासी शिमला के स्थान पर प्राणी के पिता का स्वामी नाम रोहितवर्मा पुत्र दिवपाल जाति अर्ध निवासी शिमला तहसील बहरोड़ जज बकलाय हेतु निवेदन किया है। अतः पत्रावली में प्राप्त रिपोर्ट में अंकन किया है कि ग्राम शिमला	

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज०

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
कि हाल जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या 156 में रोहितवर्मा पुत्र मिशना राजावर्मा रिपोर्ट में दर्ज है। प्राणी के दस्तावेज में रोहितवर्मा पुत्र मिशना दर्ज है। प्राणी का नाम - रोहितवर्मा पुत्र मिशना के अलावा रोहितवर्मा पुत्र दिवपाल उक्त खाते में दर्ज रिपोर्ट जोन में अभिलेखा में दर्ज है। हमारे द्वारा प्राणी वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन किया गया तथा अकलम किया गया। अतः प्राणी का प्राणना-पत्र तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाता है। हाल जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या 156 में प्राणी का नाम रोहितवर्मा पुत्र मिशना के स्थान पर रोहितवर्मा पुत्र दिवपाल दर्ज रिपोर्ट जोन में आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली के अनुसार होकर नम्बर से अंकन किया है। बाक प्रति टाबल दर्ज है।	
	उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (अलवर) राज०